

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद हापुड में इन्द्रप्रस्थ गैस लि०,आई०जी०एल० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग
सं०-24 (नई संख्या-09) के दिल्ली-लखनऊ मार्ग के किमी० 34.00 से
किमी० 49.80 तक कुल 15.80 किमी० सड़क के किनारे पर भूमिगत
12 इंच तथा 125 एम०एम० (5) व्यास की कार्बन स्टील एम०डी०ई०पी० गैस
पाईप लाईन एवं इसके साथ 50 एम०एम० (2इंच व्यास की डक्ट) बिछाये जाने
हेतु 0.7900 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की
अनुमति के संबंध में !!

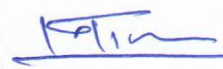
(प्रस्ताव सं० एफपी/यूपी/पाईप लाईन/53780/2020)

राज्य सरकार की सिफारिशें-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश
संख्या-पी 77/81-2-2021-800(73)/2021, दिनांक ०४.३.२०२१, 2021 के द्वारा
प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी
प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :- 08.04.2021.

हस्ताक्षर

()

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।